राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2587 / 2024

जगदीश प्रसाद वर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचातीराज विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर रेंज, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम, लुहारिया, प्रतापगढ।
6. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मण्डाभीम सिंह, जयपुर ग्रामीण जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री त्रिभूवन नारायण सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि पदस्थापन आदेश दिनांक 02.10.2023 में अंकित शर्त संख्या–10 को वैध घोषित किया जाए एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाएं कि अपीलार्थी को उक्त आदेश दिनांक 02.10.2023 की पालना में कार्य मुक्त करें। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम–2023 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के उपरांत हुई थी एवं उक्त नियमों के तहत चयन

किए जाने के पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, लुहारिया प्रतापगढ से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मण्डाभीम सिंह, जयपुर ग्रामीण में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को इस आधार पर कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है, कि उक्त आदेश दिनांक 02.10.2023 में शर्त संख्या–10 निम्न प्रकार से अंकित है :–

> ''अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त किया जावें।''

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित किये जाने के संबंध में कोई पाबंदी उक्त नियम राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम–2023 (जिसे नियम 2023 से सम्बोधित किया जाएगा) में नहीं है, फिर भी अपीलार्थी को इस आधार पर कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है कि अपीलार्थी का पदस्थापन अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि जब प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किए हैं तो उसकी पालना किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14181/2018 मंगलेश राजावत बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याची को अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन होने के पश्चात कार्य मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कथन किया गया है कि समस्त अधीनस्थ सेवाओं के संबंध में राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम–2014 बने हुए हैं, जिसमें विकल्प प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही कर्मचारी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है।
5. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

6. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश दिनांक 02.10.2023 में शर्त संख्या–10 रखी गई है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

> ''अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त किया जावे।''

यह प्रकट होता है कि उक्त शर्त इस कारण से रखी गई है कि किसी भी कर्मचारी का यदि स्थानांतरण त्रुटिवस अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है तो उसे राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम–2014 के विरुद्ध जाते हुए कोई लाभ प्राप्त नहीं हो। शर्त संख्या–10 राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम–2014 को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 02.10.2023 में रखी गयी है, जिसमें कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं। उपरोक्त शर्त को नियम विरुद्ध होना नहीं माना जा सकता। जब उक्त शर्त पदस्थापन आदेश में ही विद्यमान है तो पदस्थापन व शर्त को एक साथ पढ़ा जाएगा। जब पदस्थापन उक्त शर्त के विरुद्ध है तो ऐसा पदस्थापन लागू नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी जब नियम, 2023 के अन्तर्गत चयनित होकर अपीलार्थी नियुक्त किया गया है तो ऐसे में उक्त नियम 2014 अपीलार्थी पर लागू नहीं किये जा सकते है। हमारे मत में अपीलार्थी पूर्व में ही महात्मा गांधी विद्यालय में अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत था। अपीलार्थी का चयन होने के पश्चात अपीलार्थी का नए सिरे से पदस्थापन अवश्य किया गया है, परंतु ऐसा पदस्थापन केवल मात्र प्रतिनियुक्ति होना माना जा सकता है। ऐसी प्रतिनियुक्ति पर अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन नियम, 2014 में वर्जित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के इस तर्क को उचित नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी जो कि चयन प्रक्रिया पश्चात चयनित हुआ है, वह राजस्थान में किसी भी स्थान पर पदस्थापन प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी की ओर से जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14181/2018 मंगलेश राजावत बनाम राजस्थान राज्य का अवलम्ब लिया है, उस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश याची द्वारा विकल्प दिए जाने के आधार पर किया गया है। हस्तगत मामले में अपीलार्थी की ओर से विकल्प दिया जाना अपीलार्थी ने प्रकट नहीं किया है। ऐसे में

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं किया जा सकता।

7. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बाल होना नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरुप यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)